दैनिक भारत कि

# तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-८८ वा | सोमवार १९ जनवरी २०२६ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

# इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: बिना सरकारी मंज़ूरी भी मदरसा चलाना संवैधानिक अधिकार

लखनऊ । विशेष संवाददाता
जनवरी २०२६

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले में एक मदरसे को सील किए जाने के मामले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा १ मई २०२५ को जारी उस आदेश को रद्द (क्रैश) कर दिया, जिसके आधार पर सरकारी मान्यता न होने के कारण मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा को बंद कर सील कर दिया गया था।

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई मदरसा राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता (ग्रांट) नहीं ले रहा है और न ही मान्यता की मांग कर रहा है, तो ऐसे शैक्षणिक संस्थान को चलाने के लिए सरकारी मंज़ूरी अनिवार्य नहीं है। अदालत ने इस अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३०(१) के तहत अल्पसंख्यक समुदायों का मौलिक अधिकार बताया।

फैसले के प्रमुख बिंदु

अनुच्छेद ३०(१) अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है।

बिना सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों पर राज्य का अत्यधिक नियंत्रण या उन्हें बंद करने का आदेश असंवैधानिक माना गया।

प्रशासन को निर्देश दिया गया कि मदरसे पर लगी सील २४ घंटे के भीतर हटाई जाए।

यह फैसला उत्तर प्रदेश के उन हज़ारों गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्हें हाल के वर्षों में मान्यता न होने या अन्य आधारों पर सील/बंद किए जाने की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। केवल श्रावस्ती ज़िले में ही वर्ष २०२५ के दौरान लगभग ३० मदरसों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी, जिनमें से कई मामलों में हाईकोर्ट ने रोक (स्टे) या राहत प्रदान की थी।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

उत्तर प्रदेश में मदरसों से जुड़े मामलों में इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण निर्णय आ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर-

वर्ष २०२४ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम, २००४ को असंवैधानिक ठहराया था, लेकिन नवंबर २०२४ में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए अधिनियम की

▶▶पान ४ पे

## हेलमेट बिना दोपहिया चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई

### सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों पर भी जुर्माना व अनुशासनात्मक कार्रवाई

बीड । प्रतिनिधि

जिले में दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों के मद्देनज़र प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। हेलमेट का उपयोग न करने वालों के खिलाफ बिना किसी रियायत के कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। खास तौर पर सोमवार, १९ जनवरी २०२६ से जिले के सभी सरकारी-प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है। हेलमेट के बिना दोपहिया चलाते पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रत्येक कार्यालय के प्रवेश द्वार पर नाकाबंदी कर हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया चालकों पर

▶▶पान ४ पे

## चेक बाउंस मामले में सख्त फैसला: आरोपी को ७ लाख रुपये जुर्माना और ६ माह की सजा

बीड । प्रतिनिधि

अनादरित धनादेश (चेक बाउंस) के एक मामले में बीड स्थित अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी (९वां न्यायालय) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को ७ लाख रुपये जुर्माना और ६ महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है।

मामले में आरोपी अशोक निवृत्ति जाधव ने परिवादी अरुण दादाराव सोनवणे से हाथ उधार के रूप में ६ लाख रुपये लिए थे। उक्त राशि की वापसी के लिए आरोपी ने परिवादी के नाम ६ लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर खाते में पर्याप्त शेष राशि न होने के कारण चेक अनादरित हो गया।

इसके बाद परिवादी अरुण सोनवणे ने बीड की अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी अदालत में समरी क्रिमिनल केस क्रमांक ६३८/२३ (अरुण बनाम अशोक) दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से यह दलील दी गई कि पैसे ब्याज पर लिए गए थे और सुरक्षा के तौर पर दिए गए चेक का दुरुपयोग किया गया है। हालांकि, माननीय न्यायालय ने इस

▶▶पान ४ पे

## बीड जिले में शरद पवार की राष्ट्रवादी को झटका; पूर्व विधायक संगीता ठोंबरे शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल

केज । प्रतिनिधि

बीड जिले की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर सामने आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) को उस समय बड़ा झटका लगा, जब पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और केज विधानसभा की पूर्व विधायक प्रा. संगीता ठोंबरे ने अपने समर्थकों के साथ शिवसेना प्रमुख एवं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे गुट की शिवसेना में औपचारिक रूप से प्रवेश किया। यह पक्षप्रवेश शनिवार, १८ जनवरी को हुआ।

इस अवसर पर राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट भी मौजूद थे। उन्होंने संगीता ठोंबरे का स्वागत करते हुए कहा कि उनके शामिल होने से केज विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना को मजबूती मिलेगी। इस दौरान शिवसेना बीड जिला प्रमुख सचिन मुळुक, शिवसेना नेता अनिल जगताप, पूर्व विधायक ज्ञानराज चौगुले, धाराशिव विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना नेता अजित पिंगळे सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे।

संगीता ठोंबरे के साथ डॉ. विजयप्रकाश ठोंबरे, कुंभेफळ के पूर्व सरपंच किशोर थोरात, भगवान सेना के संस्थापक अध्यक्ष विजय केंद्रे, अशोक सक्राते, अरविंद चाळक, उमेश चाळक सहित केज विधानसभा क्षेत्र के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हुए हैं।

जिला परिषद चुनाव पर नजर

गौरतलब है कि संगीता ठोंबरे वर्ष २०१४ में भाजपा की ओर से केज विधानसभा से

▶▶पान ४ पे

## विश्व आर्थिक मंच के लिए मुख्यमंत्री दावोस रवाना

मुंबई: जमीर काजी

महाराष्ट्र को १ ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विश्व आर्थिक मंच (WEF) २०२६ में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस के लिए रविवार को रवाना हो गए। उनके प्रतिनिधिमंडल में उद्योग मंत्री उदय सामंत और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं।

वैश्विक मंच पर भारत के विकास इंजन के रूप में 'मैग्नेटिक महाराष्ट्र' को और मजबूत करने का संकल्प है। इस नई 'महा-ग्रोथ' गाथा की ओर पूरी दुनिया उत्सुकता से देख रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की यात्रा को और तेज करने में यह सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पिछले साल महाराष्ट्र ने १६ लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते किए थे। इस साल राज्य सरकार ने इससे भी अधिक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है।

इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक उद्योग समूहों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं के साथ चर्चा करके महाराष्ट्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (ऋऊख), औद्योगिक परियोजनाओं, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह दौरा महाराष्ट्र की आर्थिक प्रगति और वैश्विक निवेशकों के बीच उसकी बढ़ती साख को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

# बेनकाब, बेखौफ, बेअंजाम: कनाडा में डकैती के आरोप में पांच गुजराती गिरफ्तार

## सवालों की बौछार, कानून व्यवस्था पर दबाव, और विदेश में शर्मनाक वारदात

**रिपोर्ट: हबीब शेख, अहमदाबाद**

**कनाडा की धरती पर एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने न केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हिला दिया है, बल्कि विदेश में बसे गुजराती समुदाय की इज्जत पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओंटारियो के मिडलसेक्स काउंटी में स्थित एल्डर्न के एक गैस स्टेशन पर दिनदहाड़े डकैती के आरोप में पांच गुजराती मूल के व्यक्तियों को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया– वह भी बिना किसी नकाब के और भागने की कोई कोशिश किए बिना।**

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान दीवंग पटेल, योगेश पटेल, भाविन पटेल, मितुल पटेल और रिकी पटेल के रूप में हुई है। सभी आरोपी टोरंटो के निवासी हैं और उनकी उम्र २९ से ४५ साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने उन पर डकैती और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं, जिसमें नुकसान की राशि पांच हजार कनाडाई डॉलर से कम बताई गई है।

यह घटना ११ जनवरी को सुबह ७:४५ बजे हुई, जब आरोपी गैस स्टेशन में घुसे। उस समय वहां मौजूद एक कर्मचारी अकेला था। कर्मचारी के अनुसार, आरोपियों ने उसे धमकाया, पीछे हटने का आदेश दिया और दुकान से विभिन्न सामान इकट्ठा कर लिया। हैरानी की बात यह है कि वारदात के दौरान वे आपस में बातें करते रहे और एक-दूसरे को निर्देश देते रहे कि जो हाथ आए उठा लो।

कर्मचारी ने तुरंत मालिक को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि कथित तौर पर चुराई गई सामग्री आरोपियों की कार से बरामद कर ली गई है।

गिरफ्तारी के बाद अदालत ने आरोपियों को इस शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया है कि वे २६ फरवरी को अदालत में पेश होंगे। हालांकि, पुलिस ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वास्तव में कौन सी चीजें चुराई गईं, क्या तोड़फोड़ भी हुई, या क्या आरोपी शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में थे। आप्रवासन स्थिति (इमिग्रेशन स्टेटस) के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

यह मामला इसलिए भी असामान्य माना जा रहा है क्योंकि कनाडा में गुजरातियों का डकैती जैसे अपराधों में शामिल होना बेहद दुर्लभ माना जाता है। यही कारण है कि इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं:

आखिर आरोपियों ने चेहरे क्यों नहीं छिपाए?

पुलिस के पहुंचने से पहले भागने की कोशिश क्यों नहीं की?

क्या यह वाकई एक सुनियोजित डकैती थी या कोई और पृष्ठभूमि है?

क्या गैस स्टेशन का मालिक भारतीय मूल का है, और अगर हां तो क्या इस घटना से उसका कोई संबंध बनता है?

यह घटना न केवल कनाडा की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक चुनौती है, बल्कि विदेश में बसे भारतीय और खासकर गुजराती समुदाय के लिए भी एक चिंताजनक क्षण है। अब सभी की निगाहें २६ फरवरी की अदालती पेशी और पुलिस की आगे की जांच पर टिकी हैं, जो इस रहस्यमयी और शर्मनाक घटना के असली कारणों को बेनकाब कर सकती हैं।

# अंबाजोगाईवासियों की प्यास बुझेगी!

## नई पाइपलाइन का सफल ट्रायल; तकनीकी बाधाएँ दूर, पानी की आपूर्ति का रास्ता साफ

अंबाजोगाई (प्रतिनिधि):

अंबाजोगाई शहर की जलापूर्ति के इतिहास में आज का दिन स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला साबित हुआ है। कर्मठ विधायक माननीय नमिताताई अक्षय मुंदड़ा के अथक प्रयासों से साकार हो रही नई नल जलापूर्ति योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हुआ। धनेगांव से अंबाजोगाई के बीच बिछाई गई लगभग ७ किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन का परीक्षण (ट्रायल)

आज सफलता के साथ संपन्न हुआ।

पिछले कई दिनों से अंबाजोगाई शहर की जलापूर्ति को और अधिक सक्षम बनाने के लिए युद्धस्तर पर काम जारी था। इस योजना के अंतर्गत धनेगांव बांध से शहर तक नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। आज हुए सफल ट्रायल के दौरान नई पाइपलाइन की वहन क्षमता और तकनीकी पहलुओं की जांच की गई, जो पूरी तरह सफल रही।

इसके चलते अब शहर को अधिक दबाव के साथ और नियमित रूप से पानी की आपूर्ति संभव होगी। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे विधायक नमिताताई मुंदड़ा का सतत् प्रयास और नगराध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोरजी मुंदड़ा (काकाजी) की कुशल योजना प्रमुख रूप से कारणीभूत रही है। शहर की जल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए 'काकाजी' ने समय-समय पर कार्य की समीक्षा कर प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए थे। इस सफल चरण के बाद अंबाजोगाई शहर में मुंदड़ा परिवार पर बधाइयों की बरसात हो रही है

# 'श्री ४२०' सौरभ कुलकर्णी अवैध आतिशबाज़ी शराब निर्माण मामले में भी आरोपी

केज । प्रतिनिधि

मेडिकल शिक्षा में मैनेजमेंट कोटा के जरिए दाखिला दिलाने का झांसा देकर विद्यार्थियों और अभिभावकों से लाखों रुपये की ठगी करने वाला कथित आरोपी 'श्री ४२०' सौरभ कुलकर्णी सांगली ज़िले के तासगांव पुलिस थाना क्षेत्र में घटित अवैध आतिशबाज़ी शराब (शोभेची दारू) निर्माण के दौरान हुए विस्फोट के मामले में भी आरोपी पाया गया है। उक्त विस्फोट में आठ लोग घायल हुए थे।

महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के छात्रों और उनके अभिभावकों को मेडिकल में प्रवेश दिलाने का लालच देकर उनसे लाखों रुपये ऐंठने वाले इस कथित महाठग सौरभ कुलकर्णी को १३ जनवरी को केज विभाग के सहायक पुलिस अधीक्षक व्यंकटराम के मार्गदर्शन में गठित टीम ने कराड से गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई में पुलिस उपनिरीक्षक सैयद जावेद कराडकर, अमिरोद्दीन इनामदार और अनिल मंदे शामिल थे।

गिरफ्तारी के बाद 'श्री ४२०' सौरभ कुलकर्णी के कई अन्य कारनामे सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष करीब चार महीने पहले सांगली ज़िले के तासगांव पुलिस थाना क्षेत्र में बिना किसी सुरक्षा इंतज़ाम के अवैध रूप से आतिशबाज़ी शराब तैयार करते समय विस्फोट हुआ था। इस घटना में आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस विस्फोट के मामले में भी सौरभ कुलकर्णी के साथ उसके छह सहयोगी- आनंदा नारायण यादव, विवेक आनंदराव पाटील, गजानन शिवाजी यादव, अकुंश शामराव घोडके, प्रणव रविंद्र आराध्ये और ओंकार रविंद्र सुतार-को आरोपी बनाया गया था। यह अवैध गतिविधि सांगली ज़िले के कवठे एकंद गांव, ब्राह्मण गली स्थित सुतार समाज मंदिर में संचालित की जा रही थी।

पुलिस अब इन सभी मामलों में आगे की जांच कर रही है और आरोपी के नेटवर्क व आर्थिक लेन-देन की भी पड़ताल की जा रही है।

# वाराणसी में अहिल्यादेवी की स्मृति पर बुलडोजर चलवना: भाजपा और मोदी का घोर पाप

## धनगर समाज का अपमान कर जाहिर माफी मांगो-हर्षवर्धन सपकाळ

मुंबई: जमीर काजी कि रिपोर्ट

सोमनाथ मंदिर को गजनवी के महमूद ने जिस तरह नष्ट किया था, ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी द्वारा निर्मित स्मृति को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया है। अहिल्यादेवी की स्मृति को मिटाने की मंशा से अत्यंत क्रूर और विकृत तरीके से घाट और उस पर लगी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है।

यह घोर हमला महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने रविवार को किया। टिळक भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मणिकर्णिका घाट को नष्ट करने वाले भाजपा और नरेंद्र मोदी की कड़ी निंदा की और कहा:

एक तरफ भाजपा सरकार अहिल्यादेवी की ३००वीं जयंती उत्सव मनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी स्मृति मिटाने का पाप कर रही है। हिंदुत्व का ढोंग करने वाली भाजपा का यह दोहरा चरित्र अब जनता के सामने खुल चुका है। मोदी के अंदर गजनवी का भूत सवार हो गया है। अहिल्यादेवी का यह अपमान महाराष्ट्र की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी इस कृत्य के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और तीव्र विरोध करेगी।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुंबई कांग्रेस पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए सपकाळ ने कहा:

मोदी को कांग्रेस के बारे में सोचने की जरूरत

नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना विजय का झंडा फहरा रही थी, तब अमेरिका के दबाव में नरेंद्र सरेंडर क्यों हो गए, इसका जवाब वे दें। मुंबई महानगरपालिका में बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना का महापौर नहीं बन पाया, इससे मोदी को खुशी हुई होगी।

इस मौके पर ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल भिंगे ने कहा:

अहिल्यादेवी ने १७७१ में वाराणसी में मणिकर्णिका घाट का निर्माण किया था। १० जनवरी को भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी ने उस पर बुलडोजर चला दिया। अहिल्यादेवी की मूर्ति का अपमान किया गया, यह धनगर समाज के स्वाभिमान पर गहरा आघात है। २७ तारीख तक मोदी को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा भाजपा के किसी भी मंत्री को महाराष्ट्र में घूमने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि धनगर समाज का इतना बड़ा अपमान होने के बावजूद भाजपा के विधायक गोपीचंद पडळकर जैसे लोग चुप क्यों हैं?

जिला परिषद चुनाव में घड़ी (शिवसेना) के साथ गठबंधन नहीं

नगरपालिका और महानगरपालिका चुनावों में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन किया था, उसी तरह जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में भी जहां संभव होगा वहां गठबंधन किया जाएगा, लेकिन घड़ी (शिवसेना) के साथ कभी गठबंधन नहीं होगा। यह बात प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने स्पष्ट की।

कांग्रेस की राज्य चुनाव समिति की बैठक टिळक भवन में उनकी अध्यक्षता में हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस वर्किंग कमिटी के सदस्य एवं पूर्व मंत्री बाळासाहेब थोरात, नसीम खान, गोवा प्रभारी माणिकराव ठाकरे, पूर्व मंत्री विश्वजीत कदम, बी. एम. संदीप, गणेश पाटील, मोहन जोशी, महिला प्रदेशाध्यक्ष संध्याताई सव्वालाखे, युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे सहित राज्य चुनाव समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में जिला परिषद चुनाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई।

वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन पर सवाल के जवाब में सपकाळ ने कहा:

लातूर और नांदेड महानगरपालिका में दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा और सफलता प्राप्त की। वंचित के साथ गठबंधन सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि विचारों का मिलन है। दोनों पार्टियों में उचित समन्वय है और जो एकतरफा आलोचना हो रही है, वह गलत है।

**इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला...**

वैधानिकता बरकरार रखी (उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ प्रावधानों को छोड़कर)।

वर्ष २०२५ में श्रावस्ती सहित कई ज़िलों में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई हुई, मगर हाईकोर्ट ने अनेक मामलों में प्रक्रियागत कमियों का हवाला देकर राहत दी।

यह आदेश अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा करता है और यह स्पष्ट करता है कि धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थान, यदि वे सरकारी सहायता नहीं लेते, तो अन्य कानूनों का पालन करते हुए स्वतंत्र रूप से संचालित किए जा सकते हैं।

---

**हेलमेट बिना दोपहिया...**

कार्रवाई होगी। जिन कार्यालयों में हेलमेट की सख्ती से पालन नहीं कराया जाएगा, उन कार्यालय प्रमुखों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

१३ जनवरी २०२६ को माननीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। दोपहिया दुर्घटनाओं के विश्लेषण में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि कुल दुर्घटना-जनित मौतों में से लगभग ९० प्रतिशत मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुई हैं। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार के 'सड़क सुरक्षा अभियान २०२६' के तहत जिले में सख्त अमल के आदेश दिए गए हैं।

१९ जनवरी २०२६ से बीड जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस मुख्यालय, सभी पुलिस थाना परिसरों तथा सभी सरकारी कार्यालयों के प्रवेश द्वारों पर नाकाबंदी कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस कार्रवाई में पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों तथा सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी।

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक पुलिस थाना क्षेत्र और प्रमुख सरकारी कार्यालयों में १ अधिकारी व ५ कर्मचारियों की टीम तैनात कर इसे दैनिक रूप से लागू किया जाएगा।

पुलिस व सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी हेलमेट के बिना दोपहिया चलाते हुए पाया जाता है, तो उस पर जुर्माने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए हैं। वहीं, अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों के मामलों में संबंधित विभाग प्रमुखों को सूचना भेजकर विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

---

**चेक बाउंस मामले में सख्त...**

बचाव को खारिज कर दिया।

सभी साक्ष्यों और गवाहों की जांच के बाद अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि आरोपी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा १३८ के तहत अपराध किया है। इसके आधार पर आरोपी अशोक निवृत्ति जाधव को ७ लाख रुपये जुर्माना और ६ माह की साधारण कैद की सजा सुनाई गई।

इस मामले में परिवादी की ओर से एडवोकेट शशिकांत सावंत ने सशक्त और प्रभावी पैरवी की। उन्हें एडवोकेट विशाल विलासराव कदम, एडवोकेट अभिषेक बहिर, एडवोकेट माऊली डाके, एडवोकेट राजकुमार धरणे, एडवोकेट मुकुंद लोणकर, एडवोकेट प्रदीप दराडे, एडवोकेट विजय डोके, एडवोकेट अमोल तिडके और एडवोकेट प्रतीक गव्हाणे ने सहयोग दिया।

इस फैसले के बाद चेक बाउंस मामलों में कानून की सख्ती और प्रभावशीलता और मजबूत होने की चर्चा कानूनी हलकों में की जा रही है।------

**बीड जिले में शरद पवार की राष्ट्रवादी...**

विधायक रही थीं। हालांकि २०१९ के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट न देकर नमिता मुंदडा को उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद विधायक बनने की उम्मीद में उन्होंने नवंबर २०२४ में सांसद बजरंग सोनवणे की मध्यस्थता से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) में प्रवेश किया था, लेकिन वहां भी उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकीं।

अब चर्चा है कि उनकी नजर आगामी जिला परिषद चुनाव पर टिकी हुई है और इसी राजनीतिक रणनीति के तहत उन्होंने शिंदे गुट की शिवसेना में प्रवेश किया है। इस घटनाक्रम को लेकर केज विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

---

**दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com**

**daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com**